भारतसरकार/GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषिमशीनरीप्रशिक्षण एवंपरीक्षणसंस्थान/CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
ट्रैक्टरनगर, बुदनी (म०प्र०)/TRACTOR NAGAR, BUDNI (M.P.) 466 445
Website:http://www.fmttibudni.gov.in Email:fmti-mp@nic.in Tel:07564-299003 GSTIN:23AAAGC0890H1ZS
AN ISO-9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE

फाइल न॰ - E-8-11014/1/2024-Trg दिनांक : 04.09.2024

## ट्रेड अप्रेंटिसशिप योजनांतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) की भर्ती सम्बंधी सूचना

१. मौजूदा रिक्त स्थानों (कुल-07) में से 01कोपा (COPA), 02 इलेक्ट्रीशियन , तथा 04 मेकैनिक ट्रैक्टर हेतु ट्रेड के स्थान हैं।

२. आवेदन पत्रों की छंटनी एवं चयन निम्न लिखित आधार पर है -

(क) सभी अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल **https://www.apprenticeshipindia.gov.in/**पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि **30.09.2024** तक हैं । इसके बाद पोर्टल पर प्राप्त आवेदन इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नही होंगे ।

(ख) अभ्यर्थी वर्ष 2021 में या उसके बाद उत्तीर्ण होने चाहिये । वर्ष 2020 में या उससे पहले आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नही हैं ।

(ग) अंतिम योग्यता सूची में शामिल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से संस्थान में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा । निम्नलिखित दस्तावेज भौतिक रूप से सत्यापित किये जाते है-

- १० वीं की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची और प्रमाण पत्र
- आई.टी.आई. की अंक सूची / ट्रेड सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता संख्या तथा पासबुक
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकृत पुष्टीकरण ईमेल की कागजी प्रतिलिपि
- उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी
- हाल ही में ली गयी पासपोर्ट आकार की दो फोटो

(घ) यदि कुछ चयनित अभ्यर्थी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिये नही आते हैं, या उनके दस्तावेज सही नही पाये गये, या वे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो योग्यता सूची में उनके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को अविलम्ब अवसर दे दिया जायेगा ।

३. अभ्यर्थी **का चयन परीक्षा के आधार पर किया जावेगा ।** परीक्षा में प्राप्तांक समान पाये जाने की स्थिति में चयन का निर्णय उनके द्वारा आई.टी.आई. उत्तीर्ण होने के वर्ष की वरीयता पर तथा वर्ष भी समान पाये जाने पर आई.टी.आई. के प्राप्तांक / प्रतिशत (मेरिट) के आधार पर किया जावेगा ।

४. यदि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या उनके लिये आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त नही है, तो रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है।

इसके बाद भी यदि कुछ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को नही भरा जा सका तो इन प्रशिक्षण स्थानों को उन अभ्यर्थियों से भरा जायेगा, जो अनुसूचितजाति या अनुसूचित जनजाति के नही हैं।

५. यदि अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों की संख्या उनके लिये आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त नही है, तो रिक्त स्थानों को ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है जो अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के नही हैं ।

६. **वृत्तिका की राशि**: न्यूनतम वृत्तिका रु. **7000**/- (रुपये सात हजार मात्र) प्रति माह है ।जिसे बोर्ड के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

७. अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर दिया गया उनका नाम, उनके पिता / अभिभावक का नाम और उनकी जन्मतिथि आधार कार्ड में दी गयी जानकारी के समान हो ।दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी लाना होगा ।

८. **सामान्य निर्देश** :

(क) अभ्यर्थियों के साथ कोई डाक पत्राचार नही किया जायेगा।पत्राचार दिये गये ई-मेल से किया जायेगा ।

(ख) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में भाग लेने के लिये, या प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिये कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता नही दिया जायेगा।

(घ) यह सहभागिता और प्रशिक्षण, अप्रेंटिस अधिनियम १९६१ तथा अप्रेंटिसशिप नियम १९७२ के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है।

(ङ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने पर नियमित रोजगार प्रदान करने की कोई बाध्यता नही है ।

(च) प्रशिक्षुओं को अपने आने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(छ) यदि किसी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया तो प्रशिक्षुता अधिनियम १९६१ अप्रेंटिसशिप नियम १९७२ के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुता को समाप्त किया जा सकता है।

(ज) शिक्षण का माध्यम हिंदी / अंग्रेजी होगा। शिक्षण का माध्यम कुछ भी हो किंतु शिक्षण के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जायेगा।

(झ) आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में प्रशिक्षु के.कृ.म.प्र.एवं प. संस्थान में प्रचलित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

Ambalkar
9/9/24
(G. R. Ambalkar)
Agril Engg

IE PI
For website upload.
9/9/24